भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 586

बुधवार, 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार में सुगमता

586. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
प्रो. सौगत रायः
श्री हेमंत पाटिलः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने हाल ही में विश्व बैंक की व्यापार में सुगमता, 2020 में 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वां स्थान हासिल किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बेहतर रैंकिंग के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में बाजारोन्मुख विकास और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त रैंकिंग को एक ठोस मानदंड प्रगति के रूप में मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो पिछड़ रहे हैं तथा भारत की रैंकिंग में और सुधार के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने रैंकिंग में और सुधार के लिए राज्यों की मदद मांगी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार आने वाले वर्षों में व्यापार को सुगम बनाने की रैंकिंग में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल होने का लक्ष्य बना रही है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार ने उक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): जी, हां। विश्व बैंक द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को जारी नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में 190 देशों में भारत 63 वें पायदान पर है जो पिछले वर्ष की रैंकिंग से 14 स्थान ऊपर है। इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

पहल के अंतर्गत व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक आसान बनाया गया है जिससे अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक बनाया गया है। इन प्रयासों से दूसरे देशों से निवेश आकर्षित हुआ है जिससे देश में और अधिक रोजगार बढ़ा है।

(ङ): करों के भुगतान, व्यावसाय आरंभ करने, सम्पत्ति के पंजीकरण और संविदाओं के प्रवर्तन जैसे संकेतकों में भारत की रैंकिंग में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सुधारों का कार्यान्वयन करने और इन संकेतकों के मामले में रैंकिंग में सुधार लाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

(च): केन्द्र सरकार सुधारों के कार्यान्वयन और रैंकिंग में सुधार के लिए महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को उनके साथ साझा किया गया है। इसके परिणाम सामने आने लगे हैं जिसे पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत द्वारा दर्ज किए गए अत्यधिक सुधार (67 रैंक) के रूप में देखा जा सकता है जो वर्ष 2011 से किसी बड़े देश द्वारा किया गया सर्वाधिक सुधार है। डूइंग बिजनेस 2020 के अंतर्गत लगातार 3 वर्षों के दौरान सर्वाधिक सुधार करने वाले शीर्ष 10 देशों में भी भारत को शामिल किया गया है।

(छ) और (ज): जी, हां। डीपीआईआईटी ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ मिलकर भारत को शीर्ष 50 रैंक में लाने के उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत के विनियामक परिवेश में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। व्यवसाय के कार्यकाल से जुड़ी कई व्यवसायिक विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत डीबीआर, 2019 के 77वें रैंक से डीबीआर, 2020 में 63वें रैंक पर आ गया है जो पिछले वर्ष की रैंकिंग से 14 स्थान ऊपर है।

*****

अनुबंध

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 586 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीबीआर, 2020 में भारत की संकेतक-वार रैंक नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**संकेतक**	**रैंक (डीबीआर 2020)**
1	अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा	13
2	बिजली प्राप्त करना	22
3	ऋण प्राप्त करना	25
4	निर्माण संबंधी परमिटों का निपटान	27
5	दिवालियापन का समाधान	52
6	सीमापार व्यापार	68
7	करों का भुगतान	115
8	व्यवसाय शुरु करना	136
9	सम्पत्ति का पंजीकरण	154
10	संविदा का प्रवर्तन	163
	कुल स्कोर	**63**

दिवालियापन का निपटान, निर्माण संबंधी परमिटों का निपटान, सम्पत्ति का पंजीकरण, सीमापार व्यापार और करों के भुगतान संबंधी संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। देश में व्यावसायिक परिवेश को आसान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रमुख संकेतक-वार सुधार निम्नानुसार हैं:

i) **दिवालियापन का निपटान**

दिवालियापन के निपटान में भारत की रैंक में 56 पायदान का सुधार हुआ जो 108 से 52 पर पहुंच गई है जिसमें डिस्टेंस टू फ्रंटियर भी बेहतर होकर 40.84 से 62.0 हो गया है। भारत ने कार्यप्रणाली में पुनर्संगठन संबंधी कार्यवाही को बढ़ावा देकर दिवालियापन के समाधान को आसान बनाया है। दिवालियापन के समाधान की पद्धति के रूप में दिवाला और दिवालियापन कोड एक मान्य तरीका है। साथ ही, दिवालियापन के समाधान में लगने वाले समय की तुलना अब ओईसीडी देशों से की जा सकती है।

ii) **निर्माण संबंधी परमिटों का निपटान**

दिल्ली में, समय और लागत घटाकर निर्माण परमिट प्राप्ति को आसान बनाया गया है तथा पेशेवर प्रमाणन आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाकर भवनों के गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार किया गया है। मुंबई ने बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुकर बनाया है और जांच शुल्क की लागत को 90 प्रतिशत कम कर दिया है। इन सुधारों के कारण डीबीआर 2020 में भारत की

रैंक पिछले वर्ष के 52वें स्थान से 27वें स्थान पर पहुंच गई है जो 25 स्थान ऊपर है। साथ ही, डिस्टेंस टू फ्रंटियर भी ऊपर होकर 73.81 से 78.7 हो गई है।

iii) **सीमापार व्यापार**

एक अन्य क्षेत्र, जिसमें काफी सुधार हुआ, वह है सीमापार व्यापार संकेतक जो 12 स्थान ऊपर आया है। वर्ष 2018 के 80वें स्थान की तुलना में वर्ष 2019 में भारत 68वें स्थान पर पहुंच गया है। निकासी-पश्चात् लेखा परीक्षा, व्यापार स्टेकहोल्डर्स का एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एकीकरण, बंदरगाह अवसंरचना का उन्नयन, और दस्तावेज को इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने को बढ़ावा देकर सीमापार व्यापार को आसान बनाया गया है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई, दोनों पर लागू है।

iv) **करों का भुगतान**

- पूरे देश के लिए अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक अप्रत्यक्ष कर, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाकर करों के भुगतान को आसान बनाया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, सीईएनवीएटी, राज्य वैट और सेवा कर सहित पूर्ववर्ती बिक्री करों को जीएसटी में मिला दिया गया है। इन करों के एकीकरण से करों के सौपानिक प्रभाव कम होंगे और जमा किए जाने वाले करों के प्रतिशत में वृद्धि होगी।
- 250 करोड़ रुपए तक की बिक्री वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफएस) संबंधी प्रशासित प्रभार को मार्च, 2017 में मासिक वेतन के 0.85 प्रतिशत से घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्मचारी जमा संबंधी बीमा (ईडीएलआई) के 0.01 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार को हटा दिया गया है।

v) **व्यवसाय शुरु करना**

भारत ने एसपीआईसीई कंपनी के निगमीकरण प्रपत्र, संस्था के इलैक्ट्रॉनिक अंतर्नियम और बहिर्नियम के लिए फाइलिंग शुल्क को हटाकर व्यवसाय शुरु करने को आसान बनाया है जो दिल्ली और मुंबई, दोनों के लिए लागू हैं।

*****